१२

23/2/26 | पत्रा० पेश हुई। वादी वकील उप०। दावा वादीगण सिद्ध न होने के कारण दस्तावेज के अभाव में खारिज किया जाता है निर्णय पृथक से लिखवाया गया।
पत्रा० फैजान कुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री राघिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 128/2012
जीसीएमएस नं0 2012/00032
किस्म दावा 88, 89, 188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 23.02.2026

1. राम सिंह पुत्र रघुनाथ उर्फ रूगनाथ (मृतक)
1/1 राजकुमार पुत्र रामसिंह जाति जाटव निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
1/2 जोगराज पुत्र रामसिंह जाति जाटव निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
1/3 भीमसिंह पुत्र रामसिंह जाति जाटव निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
1/4 परशुराम पुत्र रामसिंह जाति जाटव निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।
1/5 ओमवती पुत्री रामसिंह जाति जाटव निवासी कस्बा नदबई तहसील नदबई।

—वादिनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर।
2. तहसीलदार नदबई।

— प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड0 (वादी की ओर से)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पैरोकार सरकार (प्रतिवादी की ओर से)

: निर्णय : दावा अन्त.धारा 88, 89, 188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :—

1. यह है कि पक्षकारान मुकदमे में ऐसा कोई सख्श नहीं है, जो दावा के अयोग्य हो सभी पक्षकारान वाद लडने योग्य हैं।
2. यह है कि विवादित आराजी खसरा नं. 957 रकवा 0.29 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। जिस पर वादी खातेदार के रूप में काबिज रहकर संवत 2015 से काश्त करता चला आ रहा है।
3. यह है कि विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र की आराजी सैटलमेन्ट संवत 2028 के साकिब खसरा नं0 724 रकवा 1 बी 3 विस्वा से बने है तथा सैटल0 संवत 2028 का खसरा नं0 724 मूल रूप से सैटलमेन्ट संवत 2028 के पूर्व के साबिक खसरा नं. 563 मिन से बना है।
4. यह है कि सैटलमेन्ट संवत 2028 के पूर्व के साकिब खसरा नं0 563 कस्बा नदबई रकवा 3 बी. 4 विस्वा में से रकवा 1 बीघा 12 विस्वा का वादी को पट्टा हुआ था तथा राजस्व रिकॉर्ड में उसी समय से वादी के नाम शुरू में पट्टेदार के रूप में व उसके बाद गैर खातेदार के रूप मे इन्द्राजात चले आ रहे है, उक्त विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 2 वादपत्र की आराजी पर वादी आज से 53 वर्ष पूर्व से ही खातेदार के रूप में काबिज

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

रहकर काश्त करता चला आ रहा है जबकि 50 साल से अधिक समय पूर्व वाद के पक्ष में पट्टा हुआ था परन्तु गलती से वादी के नाम खातेदारी के इन्द्राजात बाबत् विवादित आराजी नहीं आ पाये तथा राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरिके से विवादित आराजी चरण संख्या 2 वाद पत्र की आराजी वादी के नाम खातेदारी के इन्द्राजात नहीं आ पाये है।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है वादपत्र वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह घोषित किया जावे कि वादी विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 02 वादपत्र की आराजी खसरा नं. 957 रकवा 0.29 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई का खातेदार व काबिज है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम विवादित आराजी पर गैर खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन किया जावे।

(ब) यह है कि स्थाई निषेधाज्ञा वाहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जावे कि वे स्वयं या उनके अधीनस्थ कर्मचारी हल्का पटवारी आदि वादी को विवादित आराजी खसरा नं0 957 रकवा 0.29 वाके कस्बा नदबई तहसील नदबई से बेदखल न करे तथा ऐसा कोई कृत्य न करे जिससे वादी के अधिकारों पर कोई जबाल आवे।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से तहसीलदार नदबई पैरोकार सरकार द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। जो शामिल पत्रावली किया गया है।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2066–69 वाके ग्राम कस्बानदबई प्रथम, मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 कस्बा नदबई प्रथम, नकल ख़सरा गिरदावरी संवत 2015 से 2018 कस्बा नदबई, नकल जमाबंदी खतौनी संवत 2019, सत्य प्रतिलिपि भू प्रबंध विभाग भरतपुर, सत्य प्रतिलिपि जमाबंदी खतौनी संवत 2014 से 2015 कस्बा नदबई, वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम पेश किया गया एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में भीम सिंह पुत्र रामसिंह जाति जाटव निवासी कस्बा नदबई के शपथ पत्र पेश किये गये। तहसीलदार नदबई से पत्रांक 100 दिनांक 24.01.2025 से रिपोर्ट मंगवाई गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मुकदमा में वर्णित खसरा नं0 957/0.29 हाल जमाबंदी में ओमवती पुत्र रामसिंह हि0 1/5 जोगराज पुत्र रामसिंह हि0 1/5, परशुराम पुत्र रामसिंह हि0 1/5, भीमसिंह पुत्र रामसिंह हि. जाति जाटव सा0 कस्बा नदबई गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बर को मौके पर रिकॉर्ड में दर्ज काश्तकार कृषि करते आ रहे है एवं इन्हीं के कब्जे काश्त में है। संवत 2028 का मिलान क्षेत्रफल व जमाबंदी संवत 2012 से 2015 अपेक्षित है। खसरा गिरदावरी संवत 2015 से 2018 तक वाद में वर्णित साविक खसरा नं0 563 (संवत 2028) जमाबंदी संवत 2014 से 2017 के मिसल हकीयत एवं संवत 2029 से 2032 के अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी एवं अब्दुलरहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।

हमने वादी अधिवक्तागण की ओर से बहस सुनी गई । वादी अधिवक्ता की ओर से कथन रहे कि विवादित आराजी खसरा नं. 957 रकवा 0.29 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। जिस पर वादी खातेदार के रूप में काबिज रहकर संवत 2015 से काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी वादपत्र की आराजी सैटलमेन्ट संवत 2028 के साकिब खसरा नं0 724 रकवा 1 बी 3 विस्वा से बने है तथा सैटल0 संवत 2028 का खसरा नं0 724 मूल रूप से सैटलमेन्ट संवत 2028 के पूर्व के साबिक खसरा नं. 563 मिन से बना है। सैटलमेन्ट संवत 2028 के पूर्व के साकिब खसरा नं0 563 कस्बा नदबई रकवा 3 बी. 4 विस्वा में से रकवा 1 बीघा 12 विस्वा का वादी को पट्टा हुआ था तथा राजस्व रिकॉर्ड में उसी समय से वादी के नाम शुरू में पट्टेदार के रूप

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

में व उसके बाद गैर खातेदार के रूप मे इन्द्राजात चले आ रहे है, उक्त विवादित आराजी वादपत्र की आराजी पर वादी आज से 53 वर्ष पूर्व से ही खातेदार के रूप में काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है जबकि 50 साल से अधिक समय पूर्व वाद के पक्ष में पट्टा हुआ था परन्तु गलती से वादी के नाम खातेदारी के इन्द्राजात बावत् विवादित आराजी नहीं आ पाये है। वादी विवादित आराजी खसरा नं. 957 रकवा 0.29 वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई का खातेदार व काबिज है तथा हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम विवादित आराजी पर गैर खातेदारी के आदेश फरमाये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने उभयपक्षकारान अधिवक्ता की बहस को सुना गया, तथा पत्रावली में उपलब्ध साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तो पाया कि वादीगण द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। विवादित आराजी खसरा नं. 957 रकवा 0.29 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई जिला भरतपुर में स्थित है। तहसीलदार नदबई से पत्रांक 100 दिनांक 24.01.2025 से रिपोर्ट मंगवाई गई। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट मुकदमा में वर्णित खसरा नं0 957/0.29 हाल जमाबंदी में ओमवती पुत्र रामसिंह हि0 1/5 जोगराज पुत्र रामसिंह हि0 1/5, परशुराम पुत्र रामसिंह हि0 1/5, भीमसिंह पुत्र रामसिंह हि. जाति जाटव सा0 कस्बा नदबई गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजी वादपत्र की आराजी मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के मुताबिक साकिब खसरा नं0 724 रकवा 1 बी 3 विस्वा से बने है। भू प्रबंध विभाग जमाबंदी संवत 2028 की जमाबंदी में खसरा नं0 724 रामसिंह पुत्र रघुनाथ चमार सा. देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। तथा सैटल0 संवत 2028 का खसरा नं0 724 मूल रूप से सैटलमेन्ट संवत 2028 के पूर्व के साबिक खसरा नं. 563 मिन से बना है। वादी द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2014 से 2017 में साबिक खसरा नं0 563 रकवा 3 बीघा 4 विस्वा रामसिंह बल्द रघुनाथ कौम चमार सा. देह पट्टेदार दर्ज रिकॉर्ड है (प्रदर्श–4)। हमने वादी के साबिक रिकॉर्ड का अवलोकन किया तो पाया कि वादी के नाम संवत 2014 लगायत 2017 में पट्टेदार अंकित है। तत्पश्चात वादीगण उक्त विवादित आराजीयात पर पट्टेदार दर्ज रिकार्ड है। परन्तु वादीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वादीगण के पूर्वज उक्त विवादित आराजी के कब्जेकाश्त संबंधी रिकॉर्ड भी पेश नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा जमांबंदी संवत 2012 पेश नहीं की गई हैं अतः उक्त विवादित आराजी पर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण स्वयं को गैरखातेदार के स्थान पर स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी नहीं है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत दावा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नं. 957 रकवा 0.29 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई प्रथम तहसील नदबई जिला भरतपुर पर दावा वादीगण दस्तावेजात् के अभाव में सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
नदबई (भरतपुर)